दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 25 मार्च, 2021

ज़मानत अर्ज़ी 776/2021

राकेश हल्दर ....याचिकाकर्ता
द्वारा : श्री एम.एन. डुडेजा सह श्री आदित्य मिश्रा अधिवक्तागण

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य .....प्रत्यर्थी
द्वारा : राज्य की अति.लो.अभि. सुश्री कुसुम ढल्ला सह उप.नि. रीना और उप.नि. प्रतिभा यादव थाना कंझावला

कोरम:
माननीय न्यायाधीश श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद

न्या., सुभ्रमोणयम प्रसाद (मौखिक)

1. यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत पोक्सो अधिनियम की धारा 6 और भा.द.सं. की धारा 363, 376, 366, 328 और 120बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए थाना कंझावला, दिल्ली में पंजीकृत प्राथमिकी सं. 358/2019 दिनांक 13.09.2019 में नियमित ज़मानत देने हेतु है।

2. दिनांक 13.09.2019 को पीड़िता की माँ ने थाना कंझावला में एक शिकायत दर्ज की थी जिसमें कहा था कि उसकी बेटी जो लगभग सात साल की है जो लड़कियों के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, बी ब्लॉक, जे

जे कॉलोनी, सावदा, दिल्ली में पढ़ रही है, 26.08.2019 को लगभग 7:30 बजे स्कूल के लिए निकली और घर वापस नहीं लौटी। प्राथमिकी में कहा गया कि पीड़िता ने स्कूल जाने से इंकार कर दिया था। डाँटने के बाद वह स्कूल चली गई थी। प्राथमिकी में कहा गया कि शिकायतकर्ता अपनी बेटी की तलाश में गई थी लेकिन वह उसका पता नहीं लगा सकी। प्राथमिकी में यह कहा गया कि उसे संदेह है की शिखा नाम की एक महिला ने उसकी बेटी को रखा हुआ है।

3. शिकायत पर, भा.द.सं. की धारा 363 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्राथमिकी सं. 358/2019 दिनांकित 13.09.2019, थाना कंझावला, दिल्ली में दर्ज की गई थी।

4. 03.10.2019 को, पीड़िता के साथ शिकायतकर्ता/माँ थाना आई और शिकायतकर्ता ने कहा कि उसकी लड़की/पीड़िता सुरक्षित रूप से घर वापस आ गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा यह कहा गया था कि उसकी बेटी ने उसे बताया था कि वह अपनी एक सहेली निशा के साथ उसके घर शास्त्री नगर में रह रही थी। उसने यह भी कहा कि उसकी बेटी के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी को किसी भी चिकित्सिय जाँच से गुज़रना पड़े। उसने कहा कि चूंकि उसकी बेटी सुरक्षित वापस आ गई है इसलिए वह मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहती।

5. पीड़िता का बयान भी अभिलिखित किया गया जिसमें उसने बताया कि 26.08.2019 को वह अपने घर से चली गई थी और अपनी सहेली निशा के घर शास्त्री नगर, गली नंबर 14 गई थी।

6. अभिलेख पर मौजूद तथ्य दर्शाते हैं कि पीड़िता को एन.जी.ओ. द्वारा समझाया गया था और पीड़िता को संजय गाँधी मैमोरियल अस्पताल भेजा गया था जहाँ एमएलसी सं. 168/1220/19 द्वारा पीड़िता की चिकित्सकीय जाँच डॉक्टर द्वारा की गई थी। एमएलसी में डॉक्टर ने बताया कि पीड़िता की सहेली की माँ, शिखा द्वारा अपहरण किए जाने का इतिहास_है, जिसने बाद में उसे अपने भाई, राकेश/याचिकाकर्ता से शादी करने के लिए मजबूर किया। एमएलसी ने यह भी अभिलिखित किया गया कि उसकी सहेली निशा की माँ, शिखा ने उसे याचिकाकर्ता के कमरे में सोने के लिए मजबूर किया, जहाँ उसके साथ एक महीने की अवधि के लिए बलात्कार किया गया। एमएलसी में यह भी कहा गया कि पीड़िता ने एक वृत्तान्त दिया है कि अंतिम संभोग 27.09.2019 की सुबह हुआ था जिसके बाद वह भाग गई थी। एमएलसी में यह अभिलिखित किया गया कि अपनी सहेली के घर से भागने के बाद पीड़िता ने अपने भाई और माँ को बुलाया और उन्होंनें उसे बचाया। एमएलसी में यह भी अभिलिखित किया गया कि जिस दिन एमएलसी हुई उस दिन पीड़िता का मासिक धर्म आया था।

7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 26.08.2019 को लगभग 2:00 बजे जब वह अपने स्कूल के बाहर खड़ी थी तो उसकी सहेली सोनिया जो बी-ब्लॉक में रहती है उसके पास आई और पीड़िता अपनी सहेली के साथ लक्ष्मी नगर मैट्रो स्टेशन तक गई। उसने बताया कि सोनिया एक लड़के के साथ चली गई थी। उसने बताया कि उसके

पास कोई पैसे नहीं थे। उसने किसी व्यक्ति से फोन लिया और उसने अपनी सहेली निशा को फोन किया जो लक्ष्मी नगर, गली नंबर 7 में रहती है और उसे लक्ष्मी नगर मैट्रो स्टेशन आने के लिए कहा। ऐसा बताया गया कि कुछ समय के बाद निशा लक्ष्मी नगर मैट्रो स्टेशन आई और पीड़िता को अपने घर ले गई। ऐसा बताया गया कि पीड़िता दो दिनों तक वहाँ रही। ऐसा बताया गया कि तीसरे दिन निशा की माँ शिखा वहाँ आई और पीड़िता को अपने भाई, यहाँ पर याचिकाकर्ता, से शादी करने के लिए कहा। ऐसा बताया गया कि उसी दिन याचिकाकर्ता वहाँ आया और याचिकाकर्ता और शिखा ने पीड़िता को अपने घर वापस जाने से रोका और उसकी शादी याचिकाकर्ता से ज़बरदस्ती करा दी गई। पीड़िता ने कहा कि याचिकाकर्ता, उसकी सहेली निशा, निशा की माँ शिखा और एक पंडित उसकी शादी के समय वहाँ मौजूद थे। उसके बाद उसे याचिकाकर्ता के घर भेजा गया जो गली नंबर 14, लक्ष्मी नगर की तीसरी मंज़िल पर है। पीड़िता द्वारा यह बताया गया कि याचिकाकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया था। यह बताया गया कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता को लगभग एक महीने तक वहाँ रखा। सुबह याचिकाकर्ता उसे अपनी बहन शिखा के पास छोड़ देता और काम पर चला जाता और शाम को वह वापस आता और पीड़िता को अपनी बहन के घर से ले जाता। यह बताया गया कि जब भी पीड़िता ने घर जाने की इच्छा व्यक्त की तो उसे धिक्कारना दी गई।_07.09.2019 को पीड़िता भाग गई और ललित पार्क पहुँची और अपने भाई को फोन किया। ऐसा बताया गया कि उसका भाई और माँ

वहाँ आए और उसे बचाया और उसे थाने ले गए थे। पीड़िता के बयान के आधार पर भा.द.सं. की धारा 376 और POSCO अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराधों को प्राथमिकी में जोड़ा गया।

8. जाँच के दौरान पीड़िता के जन्म की तारीख *प्राथमिक विद्यालय बी ब्लॉक जे.जे. कॉलोनी सावदा* से सत्यापित की गई थी और पीड़िता के जन्म की तारीख 15.08.2004 पाई गई। घटना के समय पीड़िता नाबालिग पाई गई।

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत भी पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था जिसमें उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अपने बयान के दौरान दिए गए उन्हीं तथ्यों को दोहराया भी| धारा 366, 328 और 120बी को भी प्राथमिकी में जोड़ा गया और POSCO अधिनियम की धारा 6 और भा.द.सं. की धारा 363, 376, 366, 328 और 120बी के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया। याचिकाकर्ता को 15.10.2019 को हिरासत में लिया गया।

10. याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता श्री एम.एन. डुडेजा ने प्रतिविरोध किया कि आरोप पत्र का पठन विश्वास योग्य नहीं है। वह बताते हैं कि बेशक से पीड़िता को लगभग 30 दिनों के लिए लक्ष्मी नगर में एक आवासीय क्षेत्र में रखा गया था, जो कि एक भीड़भाड़ वाला इलाका है। वह प्रतिविरोध करते हैं कि यह असंभव है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी का भी ध्यान आकर्षित किए बिना 30 दिनों के लिए भीड़ वाले इलाके में एक घर में रखा जाए। वह बताते हैं कि एमएलसी पीड़िता के गुप्तांगों में किसी भी चोट का संकेत

नहीं देती है। याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता ने प्रतिविरोध किया कि पीड़िता के साथ यदि 30 दिनों तक बलात्कार किया गया होता तो उसके शरीर और उसके गुप्तांगों पर चोटें आई होती। उन्होंनें प्रतिविरोध किया कि अभियोजन का पूरा मामला झूठा है। उन्होंनें यह भी प्रतिविरोध किया कि अभियोजन पक्ष के मामले में विरोधाभास है। उन्होंनें बताता कि प्राथमिकी में पीड़िता की उम्र 12 वर्ष बताई गई थी। पीड़िता के पिता ने बताया कि पीड़िता 15 साल की थी। वह आगे उन तस्वीरों पर भरोसा करते हैं जिसमें पीड़िता को याचिकाकर्ता और उसकी बहन के साथ बेहद खुश देखा जा सकता है। याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता श्री एम.एन. डुडेजा पीड़िता द्वारा लिखे गए 02.01.2019 के पत्र पर भी भरोसा करते हैं जिसमें उसने कहा था कि वह अपनी सहेली के साथ अपनी मर्ज़ी से रह रही थी और वह अपनी इच्छा से अपना घर छोड़ कर जा रही है|

11. दूसरी ओर फ़ाज़िल अति.लो.अभि. सुश्री कुसुम ढल्ला ने प्रतिविरोध किया कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। उन्होंनें प्रतिविरोध किया कि पीड़िता का याचिकाकर्ता द्वारा अपहरण किया गया था और उसे उसके माता-पिता की हिरासत से ले जाया गया था। फ़ाज़िल अति.लो.अभि सुश्री कुसुम ढल्ला ने प्रतिविरोध किया कि दं.प्र.सं. की धारा 161 और दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत अपने बयानों में अभियोक्त्री ने कहा है कि पीड़िता और याचिकाकर्ता के बीच शारीरिक संबंध थे। उन्होंनें बताया कि याचिकाकर्ता POSCO अधिनियम के तहत जघन्य और गंभीर अपराध करने का आरोपी है।

उन्होंनें बताया कि आरोपों को अभी तय करना है और इसलिए याचिकाकर्ता को ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि अभियुक्त द्वारा पीड़िता पर दबाव डालने की संभावना है।

12. पीड़िता के स्कूल से जाँच अधिकारियों द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि घटना होने पर पीड़िता की उम्र केवल 15 वर्ष थी। पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त ने उसे कैद कर लिया था और एक महीने से अधिक समय तक उसके साथ बलात्कार किया था। इन परिस्थितियों के मद्देनज़र, अभियुक्त का पीड़िता पर दबाव डालने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

13. इस तथ्य के मद्देनज़र कि याचिकाकर्ता गंभीर और जघन्य अपराध का आरोपी है और अभियुक्त की सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना है, यह न्यायालय इस स्तर पर याचिकाकर्ता को ज़मानत देने के लिए इच्छुक नहीं है।

14. हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता लगभग 15 महीने से हिरासत में है और आरोपों को अभी तय करना है, विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले की कार्यवाही करे और यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को तय किया जाता है तो विचारण न्यायालय को छह महीने के भीतर पीड़िता की जाँच करने का फिर से निर्देश दिया जाता है |

15. तदनुसार, उपरोक्त अवलोकनों के साथ ज़मानत अर्ज़ी का निपटान किया जाता है|

न्या., सुभ्रमोणयम प्रसाद

25 मार्च, 2021
राहुल

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|*